न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 51/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/18
दायर दिनांक :– 17.02.2022 निर्णय दिनांक :– 25.09.2025

1. जगदीश पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. केसू पत्नि रामलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. मोहनराम पुत्र हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. बिड़दाराम पुत्र रूघाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. भजनाराम पुत्र हरींगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. हरींगाराम पुत्र रूगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
6. धूड़ाराम पुत्र रूगाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
7. गोरधनराम पुत्र बाबुराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
8. रोशनी पत्नि दिनेश कुमार जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
9. विक्रमकुमार पुत्र दिनेशकुमार जाति विश्नोई निवासी ग्राम खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की भूमि की खसरा नम्बर 655/5 रकबा 3.3589 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655/1 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 4 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655/2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655/3 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 6 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655/6 रकबा 2.2339 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 655/7 रकबा 3.3670 हैक्टेयर सहरद मौजा खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिढ तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। जमाबन्दी संवत 2077–2080 व नक्शा ट्रेस सलंग्न

25.9.25

पेश है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त है तथा इसी कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 ने एक बन्धा भी बना रखा है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण सं. 7 ता 9 के कब्जा व काश्त में है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 को सूचित किये बगैर ही सेग्रीगेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 655/5 रकबा 3.3589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/1 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/3 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/6 रकबा 2.2339 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 655/7 रकबा 3.3670 हैक्टेयर भूमि की ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 के कब्जा काश्त के विपरीत जाकर करदी। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 का मौके पर कब्जां व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश के एवं खातेदारी के कब्जा व काश्त के विपरीत कर दी है। इसलिये ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 655/5 रकबा 3.3589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/1 रकबा 2.2339 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/3 रकबा 0.7446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 655/6 रकबा 2.2339 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 655/7 रकबा 3.3670 हैक्टेयर भूमि ट्रेस में की गई विधि विरूद्ध एवं कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम खिदरत के खसरा नम्बर 655 व उसके बट्टा नम्बर की तरमीम पूर्व में नक्शा लट्ठा में नहीं हो रखी है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की तरमीम सेग्रीकेशन योजना के दौरान की गई थी। वर्तमान सेग्रीकेशन योजना में की गई तरमीम खातेदारों के कब्जा व काश्त से भिन्न है जिसे निरस्त की जाकर जवाब के साथ नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जानी उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस

25.9.25

अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 655 व बट्टा नम्बर की की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम सेग्रीकेशन होने से पूर्व नक्शा लट्ठा में अंकित नहीं थी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण की तरमीम कब्जा काश्त के भिन्न है तथा सेग्रीकेशन योजना के तहत की गयी जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार की जावे। सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई तरमीम से पूर्व वादग्रस्त खसरान् की तरमीम नक्शा लट्ठा में दर्ज नहीं थी परन्तु प्रार्थीगण वर्तमान तरमीम को दुरूस्त करवाना चाहता है। वादग्रस्त खसरान् की भूमि खसरा नम्बर 655 व उसके सम्पूर्ण बट्टा नम्बरान् का एकीकरण किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त की जाकर एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 655, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, 655/5, 655/6, 655/7 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर सम्पूर्ण खसरों का एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.9.25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)